न्यायालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी – हारून, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत याचिका संख्याः 130/2026, CIS NO. 178/2026

01. राहुल चांवरिया उर्फ पम्मू पुत्र सुरेश उम्र 25 साल निवासी छावनी रेलवे फाटक बाहर, ब्यावर शहर पुलिस थाना ब्यावर सिटी जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

प्रार्थी/अभियुक्त

जमानत याचिका संख्याः 91/2026, CIS NO.134/2026

01. नवनीत उर्फ छोटू पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 35 साल निवासी हरिजन बस्ती चर्च रोड पानी की टंकी के पास ब्यावर शहर पुलिस थाना ब्यावर सिटी, जिला ब्यावर।

––– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, ब्यावर।

–––अभियोगी

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

अपराध अंतर्गत धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता, व 3/25(1)(a) आयुध अधिनियम 1959(संशोधन 2019)

उपस्थितः–

1. श्री ताराचंद मकवाना, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त राहुल।
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त नवनीत उर्फ छोटू।
3. श्री ईश्वरचंद सोलंकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

आदेश **दिनांकः 01.04.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये, जिनकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 775/2022 व सेशन प्रकरण संख्या 08/2023 सरकार बनाम अरविन्द चांवरिया वगैरह से संबंधित होने से उक्त दोनों जमानत आवेदनों का एक साथ ही निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता 1860 व धारा 3/25(1)(a) आयुध अधिनियम 1959 (संशोधन 2019) के अधीन दण्डनीय आरोप पर विचारण किया जा रहा था। विचारण के दौरान अभियुक्त राहुल चांवरिया उर्फ पम्मू के दिनांक 29.07.2024 व अभियुक्त नवनीत उर्फ छोटू के दिनांक 03.09.2025 को न्यायालय से अनुपस्थित हो जाने के कारण उनके जमानत मुचलके

जप्त कर उन्हें गिरफ्तारी वारण्ट से तलब करने का आदेश दिया गया था तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये। दिनांक 12.03.2026 को अभियुक्त नवनीत उर्फ छोटू को गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में गिरफ्तार कर पेश किया जिस पर मुलिजम नवनीत उर्फ छोटू को अभिरक्षा में लिया गया। दिनांक 19.03.2026 को अभियुक्त राहुल ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया, जिस पर अभियुक्त राहुल को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये है।

3. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण जान–बूझकर अनुपस्थित नहीं हुए है बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त खाने कमाने बाहर गये हुए थे। उनके अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हो पाने के कारण उन्हें तारीख पेशी की सही जानकारी नहीं हो पाई थी, प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत जप्त कर ली गई एवं प्रार्थी/अभियुक्तगण को जरिए गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किए जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त राहुल को उक्त कार्यवाही की सूचना मिलते ही प्रार्थी/अभियुक्त राहुल ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है व प्रार्थी/अभियुक्त नवनीत उर्फ छोटू की पत्नी की डिलेवरी होने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना व शर्तों की पालना करने को तत्पर है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की अनुपस्थिति में कोई बदयांति नहीं रही है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने जमानत के उपबन्धों का अनुचित लाभ उठाया है। पत्रावली बहस चार्ज की स्टेज पर स्टेज पर है। अभियुक्तगण ने विचारण में सहयोग नहीं किया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

5. मैंने सुना। पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता 1860 व धारा 3/25(1)(a) आयुध अधिनियम 1959 (संशोधन 2019) के अपराध का आरोप है। अभियुक्तगण के उपस्थित नहीं होने पर उनके जमानत मुचलके जप्त किए जाकर गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त राहुल को उक्त कार्यवाही की सूचना मिलते ही प्रार्थी/अभियुक्त राहुल ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्म समर्पण किया है व प्रार्थी/अभियुक्त नवनीत उर्फ छोटू की पत्नी की डिलेवरी होने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्तगण जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहे है, उनकी अनुपस्थिति का जो कारण है, वह सद्भाविक प्रतीत होता है। अभियुक्तगण ने विचारण में सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित कर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में नियत है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण (1) **राहुल चांवरिया उर्फ पम्मू** पुत्र सुरेश (2) **नवनीत उर्फ छोटू** पुत्र उम्मेदसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त राहुल चांवरिया उर्फ पम्मू इस न्यायालय की संतुष्टि हेतु 50,000/–50,000/– रुपये की दो जमानतें व 1,00,000/– रुपये की राशि का स्वयं का मुचलका/बंधपत्र तथा अभियुक्त नवनीत उर्फ छोटू इस न्यायालय की संतुष्टि हेतु 35,000/–35,000/– रुपये की दो जमानतें व 70,000/– रुपये की राशि का स्वयं का मुचलका/बंधपत्र प्रस्तुत कर अभिप्रमाणित करावे तो प्रार्थी/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे, अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावे।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ब्यावर।

7. आदेश आज दिनांक **01.04.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ब्यावर।

PAWAN
Steno Grade III
"Authenticated Document"
Digitally signed by PAWAN
Date: 2026.04.02 10:07:36 +0530